प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–02.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **94 वाहनों से मु0– 17,200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 05 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 14 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

05 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 290
लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामसजीवन पुत्र शिवप्रसाद निवासी परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–76/19,धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सन्तोष वर्मा पुत्र काली प्रसाद निवासी धवकनपुरवा मौजा सरवांगपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–83/19, 02. महेन्द्र पुत्र केवल बहादुर सिंह निवासी बालपुर जाट थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–85/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दर्शन पुत्र दशरथ निवासी बनरबगिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–132/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दीपक पुत्र जयप्रकाश निवासी राजारामपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–89/19, 02. फूलचन्द पुत्र लठ्ठ सिंह निवासी नयेपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 70 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–90/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. वंशराज सोनकर पुत्र छेदीलाल निवासी भटपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–263/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध असलहों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी–

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

थाना मनकापुर से कार्यवाही–

अभियुक्त रामविलास पुत्र राम मनोरथ वर्मा निवासी बड़की खेतरी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान शम्भुनगर जाने वाले जंगल के रास्ते पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर मु0अ0सं0–152/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्त शातिर चोर है जिसके विरूद्ध थाना मनकापुर में पूर्व में भी नकबजनी के अभियोग पंजीकृत है।

थाना उमरीबेगमगंज से कार्यवाही–

अभियुक्त रामदीन पुत्र देवीप्रसाद निवासी घमरइयाडीहा मौजा घमरइया थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान घमरइया डीहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर मु0अ0सं0–77/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना मोतीगंज से कार्यवाही–

अभियुक्त सिद्धनाथ पाण्डेय पुत्र राजदत्त पाण्डेय निवासी नवग्रह थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान नौबरा ग्राम से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर मु0अ0सं0–85/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 29 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 230 ली0 अवैध कच्ची शराब।

अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, भारी संख्या मे अवैध शस्त्र व उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार –:

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. सत्येन्द्र मिश्रा पुत्र अयोध्या मिश्रा निवासी बमहनी कानूनगो थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. रवि मिश्रा पुत्र भोलानाथ मिश्रा निवासी बमहनी कानूनगो थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01. 02 अदद अध्धी बन्दूक।
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर।
03. 19 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
04. 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।
05. 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
06. 01 अदद बुलेट 315 बोर।
07. 20 अदद खोखा कारतूस 32 बोर।
08. 10 अदद नाल 12 बोर।
09. 04 अदद नाल 315 बोर।
10. 01 अदद नाल 32 बोर।
11. 04 अदद नाजायज चाकू।
12. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0–144/19 धारा 3/4/5/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावो को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र रखने व उनका निर्माण करने वालो के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे जिसके क्रम में स्वाट/सर्विलांस व थाना धानेपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 01.04.2019 को थानाध्यक्ष धानेपुर मय टीम के साथ धानेपुर क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण व तस्करी में लिप्त व्यक्तियों की सुरागरसी–पतारसी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त भारी मात्रा में अवैध शस्त्र मलंग बाबा मजार के पास में बनाने का कार्य कर रहे है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष धानेपुर अतुल चतुर्वेदी मय टीम के साथ मलंग बाबा मजार के पास की घेराबन्दी करके दबिश दी गयी तो वहां पर 02 व्यक्ति मौजूद थे जो पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिस करने लगे। पुलिस की तत्परता से व्यक्ति को घेरा बन्दी करके पकड़ा गया तो उक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम अपने परिवार के भरण पोषण हेतु असलहा बनाकर बेचते है मौके पर तलाशी से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गयें। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष धानेपुर अतुल चतुर्वेदी।
02. उ0नि0 शादाब आलम।
03. उ0नि0 आशीष कुमार।
04. हेड का0 विनोद पाण्डेय।
05. हेड का0 आलोक पाण्डेय।
06. हेड का0 मदनमोहन सिंह।
07. का0 रामसुभाष यादव।
08. का0 देवा नन्द वर्मा,
09. का0 प्रवीण पाण्डेय।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए अवैध शस्त्र मय कारतूस व उपकरण के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार –:

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. मंगल प्रसाद उर्फ गज्जू पुत्र मुनउ निवासी लालनगर भयापुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. सतीराम उर्फ शक्ति पुत्र सीताराम निवासी पचरन पृथ्वीनाथ चौराहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर।
03. 01 अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा बाडी।
04. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
05. 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।
06. 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
07. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0–72/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावो को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र रखने व उनका निर्माण करने वालो के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे जिसके क्रम में स्वाट/सर्विलांस व थाना खरगूपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 01.04.2019 को थानाध्यक्ष खरगूपुर मय टीम के साथ खरगूपुर क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण व तस्करी में लिप्त व्यक्तियों की सुरागरसी–पतारसी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भयापुरवा लालनगर गॉव के पास कुवानी नदी के किनारे बनाने का कार्य कर रहे है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष खरगूपुर संतोष कुमार तिवारी मय टीम के साथ भयापुरवा लालनगर गॉव के पास कुवानी नदी के पास की घेराबन्दी करके दबिश दी गयी उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार उनके कब्जे से भारी मात्रा में शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी।
02. व0उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
03. हेड का0 राजमन यादव।
04. का0 रवीन्द्र नाथ मौर्या।
05. का0 शशि कपूर यादव।
06. हेड का0 चालक अशोक कुमार दुबे।